

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 31.03.2024

प्रतिरूपण द्वारा छल व धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कर लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त व 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार मय पुलिस टीम थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2021 धारा 419,420,467,468,471,506,120बी भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. राधा शर्मा पत्नी अनिल कुमार शर्मा निवासी बौलिया रेलवे कालोनी गोरखपुर 2. कलावती देवी रामअवतार गुप्ता नि0 अर्जुन डीहा पोस्ट कतौर जनपद देवरिया व 3. झिगूरी गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासीगण अर्जुन डीहा पोस्ट कतौर जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता व उनके चाचा के जमीन को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर रजिस्ट्री बैनामा कई बार में अपने नाम कराना व धोखे में रखकर अपना नाम खतौनी में दर्ज करा लिया गया। जिसके संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम पता-

1. राधा शर्मा पत्नी अनिल कुमार शर्मा निवासी बौलिया रेलवे कालोनी गोरखपुर
2. कलावती देवी रामअवतार गुप्ता नि0 अर्जुन डीहा पोस्ट कतौर जनपद देवरिया
3. झिगूरी गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासीगण अर्जुन डीहा पोस्ट कतौर जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियो का विवरण-

मु0अ0सं0 131/2021 धारा 419,420,467,468,471,506,120बी भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 प्रभात दूबे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 ताजबिजय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. म0का0 ज्योति सरोज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. म0का0अनीता यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर